मुन्तकिली प्रकरण सं0 17/2016 अनवानी 1–संजयकुमार 2–सुभाष पि0 महेन्द्र जाति जाट नि0 पीलीबंगा 3– विमलादेवी पत्नि महेन्द्र जाति जाट नि0 पीलीबंगा बनाम 1–जयकौरी मृत्तक 1/1–जसवंत मृतक 1/1/1–रणवीर 1/1/2– अनिल 1/1/3–राजेन्द्र पि. जसवंत जाट नि0 नगरान तह0 संगरिया 1/1/4–पाटो पुत्री जसवंत 1/2 बृजलाल 1/3 विद्या 2–रूकमादेवी मृत्तक 2/1 धर्मवीर 2/2 कृष्ण मृतक 2/2/1 ज्ञानप्रकाश पुत्र कृष्ण वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.09.2016

प्रार्थी संजयकुमार आदि के अभिभाषक श्री रामप्रकाश गुप्ता उपस्थित है। अप्रार्थी महेन्द्र पुत्र ठाकरराम, कमलादेवी, कलावतीदेवी, सरस्वतीदेवी, ज्ञानप्रकाश, धर्मवीर के अभिभाषक श्री जसवंत सिंह भादू उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण महेन्द्र पुत्र ठाकरराम, कमलादेवी, कलावतीदेवी, सरस्वतीदेवी, ज्ञानप्रकाश, धर्मवीर के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित अनवानी वाद संजयकुमार बनाम जयकौरी धारा 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित अनवानी वाद संजयकुमार बनाम जयकौरी धारा 88, 188, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को अन्यत्र स्थान पर लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1579
5-9-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर